संख्या-20 /2019/339/कनिप्र/26-3-2019-18(121)/98

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश शासन।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ — लखनऊ: दिनांक : 28 मार्च,2019
समाज कल्याण विभाग

विषय: उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित टंकण/ आशुलिपि, हथकरघा एवं बढ़ईगीरी प्रशिक्षण योजनान्तर्गत कार्यरत स्टाफ के अधिष्ठान व्यय हेतु धनराशि की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2018-19

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के पत्र संख्या-3797/लेखा अनुभाग/2018-19 दिनांक 11-03-2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश् हुआ है कि उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित टंकण/आशुलिपि, हथकरघा एवं बढ़ईगीरी प्रशिक्षण योजनान्तर्गत कार्यरत स्टाफ के अधिष्ठान व्यय हेतु रू0 2,00,00,000/- (रू0 दो करोड़ मात्र) की धनराशि अनुदान स्वरूप स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त धनराशि आप द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित बीजक के माध्यम से प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा आहरित कर व्यय की जायेगी तथा व्यय की गयी धनराशि का मदवार विवरण शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

3- प्रश्नगत आहरित धनराशि के व्यय के संबंध में वर्तमान में लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता के अन्तर्गत निर्धारित नियमों/दिशा निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- प्रश्नगत धनराशि किसी भी दशा में सावधि जमा के रूप में नहीं रखी जायेगी। उक्त अनुदान के उपभोग पर वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16-ए के नियम लागू होगें। इस आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- उपर्युक्त धनराशि शासन द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निर्धारित नियमों के अनुसार व्यय की जायेगी। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा इसके लिए संबंधित जनपदों के जिला प्रबन्धक/सहायक प्रबन्धक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें।

6- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-083 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0105-अनुसूचित जाति के युवकों के लाभार्थ विविध प्रशिक्षण योजनायें (के.100/रा.0-के.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामें डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च,2018 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

<u>पृ0संख्या-20/2019/339(1)/क.नि.प्र./26-3-2019 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार,लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2-प्रबन्ध निदेशक,उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, महानगर, लखनऊ।
3-मुख्य कोषाधिकारी कैसरबाग,लखनऊ
4- वित्त(व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-4/वित्त संसाधन(वित्त आयोग एवं केन्द्रीय सहायता) अनुभाग,उ0प्र0 शासन।
5- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in